

अतः पत्रावली पूर्व दिशानुसार वि. 14/11/23 को पेश हो।

4.10.23 पत्रावली पेश हुई/वकील उभय पक्ष एवं
गवाह श्री..... अधिवक्ता गण
उपस्थित..... उपस्थित नहीं आए
अतः पत्रावली पूर्व दिशानुसार वि. 14/11/23 को पेश हो।

8/11/2023
Not Pross

महोदय

वकील

जयपुर

नि. 11/2/2023

व. 9/1/23

बादिया भानीबाई के वारिसान श्री भागीछात्र, बदरीचन्द, बरगुलाई, पारसबाई ने उपस्थित होकर न्यायालय राजा में विचाराधीन बाद प्रकरण सं. 131/2016 को नोट प्रेस किया गया बाद प्रकरण को शक भवना नहीं पाहते हैं। बादीया के वारिसान श्री पदयाक श्री मोहम्मद हसन खान एडवोकेट द्वारा की गई। बादीया के अधिवक्ता को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद जॉन अवलोकन बाद प्रकरण को नोट प्रेस में खारीन किया जाता है। पत्रावली फैसला सुमाए लेकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

